IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

जुलाई १३, २०१८

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Sir,

Notice of 14th AGM of IDBI Bank

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Notice of 14th AGM of IDBI Bank being issued to the Members of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

भवदीय,
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

13/07/18
[पवन अग्रवाल]
कंपनी सचिव

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838
[पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन-(022) 66552779
ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbi.com]

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 14वीं वार्षिक महासभा सोमवार, दिनांक 13 अगस्त 2018 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2018 को बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशकों तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना,

2. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:-

   ''संकल्प किया जाता है कि जारी किए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम और तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार (i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक(कों) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है. उपर्युक्त नियुक्तियाँ/पुनर्नियुक्तियाँ ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे.''

IDBI BANK

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838
[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
Phone-(022) 66552779
e-mail:idbiequity@idbi.co.in, website:www.idbi.com]

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 14th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Monday, August 13, 2018 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, General Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank as at March 31, 2018 together with the Reports of Directors and Auditors thereon;

2. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :-

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to (i) appoint / re-appoint Statutory Central Auditors of the Bank for the Financial Year 2018-19 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and (ii) appoint/re-appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2018-19 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI, on such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

विशेष कारोबार

3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹ 5000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज़ के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए], या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन और / या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों / दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे.''

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2009, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of shareholders of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating upto ₹ 5000 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/ members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, preferential issue, qualified institutional placement and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/guidelines."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा लाभांश की घोषणा के समय बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हो, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा सार्वजनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और / या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जा जाए / की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी के दिशानिर्देशों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम के समर्थकारी प्रावधानों और अन्य लागू कानून, दिशानिर्देश, यदि कोई हो, जिसमें वर्तमान में प्रभावी उनके संशोधन या उनके आशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा लागू हों, तथा भारतीय रिज़व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और / या अन्य सांविधिक/

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"RESOLVED FURTHER THAT such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Director or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the Provisions of Section 42 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, SEBI guidelines, Banking Regulation Act, 1949, enabling provisions of the Articles of Association of the Bank and other applicable laws, guidelines, if any including any amendment thereto or statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, as applicable, including such other statutes, notifications,

विनियामकीय प्राधिकरण द्वारा जारी, लागू, सम्बद्ध और समय-समय पर संशोधित अन्य विधान, अधिसूचना, स्पष्टीकरण, परिपत्र, नियम एवं विनियम शामिल हैं, के अनुसरण में तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और / या किसी अन्य सांविधिक / विनियामक प्राधिकरण, जो इस संबंध में अपेक्षित हो, से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसी शर्तों और निबंधनों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाए, की शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भाग में निजी तौर पर शेयर आबंटन / सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बांड को मिलाकर ₹ 5,000 करोड़ तक जुटाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए तथा एतद्द्वारा सहमति दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसाकि इस बारे में जरूरी या आकस्मिक समझा जाए, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी (डीआईएन 06713850), जिन्हें संस्था के अंतर्नियम के नियम 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) की शर्तों के अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में 9 अक्तूबर 2017 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा ऐसे निदेशक के रूप में जिनकी अवधि 14वीं वार्षिक महासभा की तारीख को समाप्त होनी है तथा जिनके बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन बैंक निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सूचित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है तथा बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई है, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116ए के साथ पठित नियम 116(1)(ई) की शर्तों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे तथा आरंभ में, 9 अक्तूबर 2017 से लगातार 4 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे.''

clarifications, circulars, rules and regulations as may be applicable and relevant, as amended from time to time, issued by Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other statutory/ regulatory authority and subject to approvals, if any, required from Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Stock Exchanges and/or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, the consent of Members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank for mobilisation in one or more tranches upto ₹ 5000 crore comprising of Senior / Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II / Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement / Public Issue during the FY 2018-19 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to the Managing Director & CEO or Deputy Managing Director of the Bank, or any other Director or officer of the Bank as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN 06713850) who was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. October 09, 2017 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who ceases to be such Director on the date of 14th Annual General Meeting and in respect of whom, a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director of the Bank, was received and the Board recommended his appointment as Independent Director, be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(e) read with Article 116A of the Articles of Association of the Bank, to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2017."

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि श्री समरेश परिडा (डीआईएन 01853823), जिन्हें संस्था के अंतर्नियम के नियम 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) की शर्तों के अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में 19 मई 2018 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा निदेशक के रूप में जिनकी अवधि 14वीं वार्षिक महासभा की तारीख को समाप्त होनी है तथा जिनके बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन बैंक निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सूचित क रते हुए नोटिस प्राप्त हुआ और बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफ़ारिश की है, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116ए के साथ पठित नियम 116(1)(ई) की शर्तों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे तथा आरंभ में, 19 मई 2018 से लगातार 4 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि श्री जंबुनाथन नारायणन (डीआईएन 05126421), जिन्हें संस्था के अंतर्नियम के नियम 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) की शर्तों के अनुसार आईडी बीआई बैंक लि. के बोर्ड में 19 मई 2018 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा निदेशक के रूप में जिनकी अवधि 14वीं वा र्षिक महासभा की तारीख को समाप्त होनी है तथा जिनके बारे में कंपनी अ धिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन बैंक निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सूचित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ और बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफ़ारिश की है, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116ए के साथ पठित नियम 116(1)(ई) की शर्तों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे तथा आरंभ में, 19 मई 2018 से लगातार 4 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे.''

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(सी) की शर्तों के अनुसार 14 मई 2018 की अधिसूचना के अंतर्गत भा रत सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में श्री प्रवीण गर्ग के स्थान पर 16 मई 2018 से अगले आदेश तक श्री सुधीर श्याम (डीआईएन 08135013), निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT Shri Samaresh Parida (DIN 01853823) who was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. May 19, 2018 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who ceases to be such Director on the date of 14th Annual General Meeting and in respect of whom, a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director of the Bank, was received and the Board recommended his appointment as Independent Director, be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(e) read with Article 116A of the Articles of Association of the Bank, to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2018."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT Shri Jambunathan Narayanan (DIN 05126421) who was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. May 19, 2018 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who ceases to be such Director on the date of 14th Annual General Meeting and in respect of whom, a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director of the Bank, was received and the Board recommended his appointment as Independent Director, be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(e) read with Article 116A of the Articles of Association of the Bank, to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2018."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT the nomination of Shri Sudhir Shyam (DIN 08135013), Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India as Government Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. in place of Shri Praveen Garg w.e.f. May 16, 2018

सरकार के नामांकन को सरकार के नामिती निदेशक के रूप में, जिसे बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया है, को नोट किया जाए तथा एतद्द्वारा नोट किया जाता है.''

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(ए)(ii) की शर्तों के अनुसार, भारत सरकार के दिनांक 29 जून 2018 के पत्र के साथ पठित भारत सरकार के दिनांक 20 जून 2018 के पत्र एफ़ सं. 4/6/2018-बीओ. I के अंतर्गत श्री बी. श्रीराम (डीआईएन 02993708), प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को श्री महेश कुमार जैन के स्थान पर 30 जून 2018 (पदभार ग्रहण करने की तारीख) से आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में 3 माह के लिए नियुक्ति को, जिसे बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया है, नोट किया जाए तथा एतदद्वारा नोट किया जाता है.ड

बोर्ड के आदेश से

(बी. श्रीराम)
एमडी एवं सीईओ
(डीआईएन 02993708)

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400 005
दिनांक : 30 जून 2018

टिप्पणियां :

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, महासभा में भाग लेने और उसमें वोट देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में वोट देने का अधिकार तभी होगा जब उन्हें नियुक्त करने वाले सदस्य ने पहले अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं डाला है. इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति मताधिकार रखने वाले बैंक की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम 10 प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मताधिकार रखने वाले बैंक की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक

and until further orders, by Govt. of India vide Notification dated May 14, 2018, in terms of Article 116(1)(c) of the Articles of Association of the Bank, as approved by the Board in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013, be and is hereby noted".

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT the appointment of Shri B. Sriram (DIN 02993708), Managing Director, State Bank of India, as MD & CEO of IDBI Bank, for a period of 3 months on the Board of IDBI Bank Ltd. in place of Shri Mahesh Kumar Jain w.e.f. June 30, 2018 (assumption of office), vide GoI's Letter F.No. 4/6/2018-Bo. I dated June 20, 2018 read with GoI's letter dated June 29, 2018, in terms of Article 116(1)(a)(ii) of the Articles of Association of the Bank, as approved by the Board in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013, be and is hereby noted".

By Order of the Board

(B. Sriram)
MD & CEO
(DIN 02993708)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated : June 30, 2018

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.

2. In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote at the Meeting only in case the Member appointing him has not already cast his vote through e-voting. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent,

धारिता रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त करे तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब :

(क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते कि प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.

(ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटार्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी के नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटार्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

(ग) प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति बैठक में भाग लेने के समय अपनी पहचान का प्रमाण देगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को बैठक में भाग लेने के समय अपने साथ पहचान का प्रमाण अर्थात् पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेन्स या पासपोर्ट लाना होगा.

(घ) यदि व्यक्ति को पचास से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया गया है तो ऐसा प्रॉक्सी किन्हीं पचास सदस्यों को चुनेगा और निरीक्षण के लिए निर्दिष्ट अवधि के प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात् 12 अगस्त 2018 को अपराह्न 3:30 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से पूर्व बैंक को उसकी पुष्टि करेगा. यदि ऐसा प्रॉक्सी सूचना नहीं दे पाता है तो बैंक प्राप्त पहले पचास प्रॉक्सियों को वैध मानेगा.

of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:

(a) It is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.

(b) It is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(c) The person appointed as a Proxy shall prove his identity at the time of attending Meeting and for the purpose, such person shall carry proof of identity, viz., PAN card or Voter ID or AADHAAR card or Driving Licence or Passport, with him at the time of attending the Meeting.

(d) If a person is appointed as a Proxy for more than fifty members, such Proxy shall choose any fifty Members and confirm the same to the Bank before the commencement of specified period for inspection, i.e., before 3.30 p.m. (IST) on August 12, 2018. In case such Proxy fails to inform, the Bank will consider the first fifty proxies received, as valid.

3. सदस्यों/ प्रॉक्सियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरे हुए पहचान फॉर्म साथ लाएं.

4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम कारोबार के आरंभ होने पर सभा में कम से कम तीस सदस्यों (केंद्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने पर पूरा होगा.

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के ईक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779, 66553062, 66553147 ईमेलःidbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

6. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

7. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.

8. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार;

   i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

   ii) बैंक वार्षिक महासभा के स्थान पर टैबलेट आधारित ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है और वार्षिक महासभा में भाग लेने वाले सदस्य, जो पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं दे पाए हैं, एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

3. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.

4. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present in the meeting.

5. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel.No. (022) 66552779, 66553062, 66553147 E-mail:idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

6. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.

7. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

8. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended;

   i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

   ii) The Bank is providing facility for Tab based e-voting at the venue of AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM.

iii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट नहीं दे पाएंगे.

iv) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस के साथ भेजे गए पहचान फॉर्म में दिए गए हैं.

9. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **मंगलवार, 07 अगस्त 2018 से सोमवार, 13 अगस्त 2018** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **06 अगस्त 2018** (अंतिम दिन), जो तारीख रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक महासभा में वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार होगी :

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के https://www.evoting.nsdl.com/पर लॉग-इन करें.

चरण 2: एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करें.

चरण 1 संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करना है ?

1. एनएसडीएल के ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर आइकॉन 'Login' पर क्लिक करें जो 'Shareholders' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

   विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् 'Cast your vote electronically' की तरफ बढ़ सकते हैं.

iii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

iv) Details of login id are given in Identification Form sent alongwith this Notice.

9. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Tuesday, August 07, 2018 to Monday, August 13, 2018** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **August 06, 2018** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised whether by remote e-voting or by tab voting at the AGM venue.

The process and manner of e-voting shall be as follows:

Step 1 : Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details of Step 1 are given below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिए गए हैं :

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
(क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के पास डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं.	8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
(ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपका यूजर आईडी 12********** होगा.
(ग) उन सदस्यों के लिए जो भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं.	इवेन संख्या और उसके बाद कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और इवेन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. आपके पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपने 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करते समय, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करने की जरूरत है और इसके बाद प्रणाली आपको पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगा.

ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल पर नजर रखें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ़ फाइल खोलें. पीडीएफ़ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक और भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ़ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके डाक पते पर भेजा जाएगा.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''Forgot User Details/Password'' पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर 'Physical User Reset Password?' विकल्प उपलब्ध है (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं).

ग) यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असफल हैं तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलिओ संख्या, अपने पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए ''Agree to Terms and Conditions'' पर टिक करें.

8. अब आपको ''Login'' बटन पर क्लिक करना होगा.

9. ''Login'' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

(ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

7. After entering your password, tick on "Agree to Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

चरण 2 संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है ?	
1.	चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे. 'e-voting' पर क्लिक करें. इसके बाद 'Active Voting Cycles' पर क्लिक करें.
2.	'Active Voting Cycles' पर क्लिक करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के 'EVEN' जिनमें आप शेयर धारण करते हैं और जिनके वोटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में हैं, देख पाएंगे.
3.	आप उस कंपनी का 'EVEN' चुने जिसके लिए आप मतदान करना चाहते हैं.
4.	अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.
5.	उपयुक्त विकल्प, अर्थात् 'Assent' या 'Dissent' का चयन करते हुए अपना मतदान करें, आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा 'Submit' पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें.
6.	पुष्टिकरण के बाद, ''Vote Cast Successfully'' संदेश प्रदर्शित होगा.

Details of Step 2 are given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?	
1.	After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2.	After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3.	Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote.
4.	Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5.	Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6.	Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

7.	आप पुष्टीकरण पृष्ठ पर 'Print' विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
8.	संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1 संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी/ हस्ताक्षरियों के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें औरउसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

2. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' या ''Physicai User Reset Password'' के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू)' तथा ''शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल'' देखें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर मेल करें.

4. ई-वोटिंग गुरुवार, 09 अगस्त 2018 को (भारतीय समय के अनुसार सुबह 9.00 बजे) प्रारम्भ होगी तथा रविवार, 12 अगस्त 2018 को (भारतीय समय के अनुसार शाम 5.00 बजे) समाप्त होगी.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 29 जून 2018 के बाद और 06 अगस्त 2018 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 29 जून 2018 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 06 अगस्त 2018 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 06 अगस्त 2018 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक महासभा के स्थान पर टैब वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. यदि ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान करने का विकल्प चुनते हैं तो वे अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए

7.	You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8.	Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in

4. E-Voting period commences on and from Thursday, August 09, 2018 (9.00 a.m. IST) and ends on Sunday, August 12, 2018 (5.00 p.m. IST)

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the despatch of AGM Notice, i.e., June 29, 2018 and upto August 06, 2018 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 29, 2018 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till August 06, 2018 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of August 06, 2018, can exercise their voting right through remote e-voting or Tab voting at the venue of AGM. In case, such Members opt to vote through remote e-voting, they may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client

एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''Forgot User Details/ Password'' का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 06 अगस्त 2018 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध ''Forgot Password'' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, 12 अगस्त 2018 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) तुरंत बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 06 अगस्त 2018 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66552779/ 3147/ 3062) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

10. ऐसे सदस्यों को वार्षिक महासभा के स्थान पर अपना वोट डालने के लिए टैब वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट नहीं डाले हैं.

ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of August 06, 2018.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM venue.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Sunday, August 12, 2018 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on August 06, 2018, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

For any further details in this regard, you may contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779 /3147 /3062) or NSDL - Toll Free No. 1800 222 990.

10. Tab voting will be provided at the venue of AGM, to the Members who have not cast their vote through remote e-voting.

11. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 16 अगस्त 2018 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbi.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.

12. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है. अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन जमा करें जिसके पास उनके डीमैट खाते हैं. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य आईडीबीआई बैंक/ कार्वी को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की मानदंडों के अनुसार, हम, एतद्द्वारा, आईडीबीआई बैंक लि. के सभी सदस्यों से, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत नहीं किया है या इसे अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध करते है कि आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.

02. सेबी के दिनांक 20 अप्रैल 2018 के परिपत्र सं. सेबी / एचओ/ एमआईआरएसडी / डीओपी 1 / सीआईआर / पी / 2018/73 के अनुसार, जिसके द्वारा जारीकर्ता कंपनी और आरटीए को उन सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड और बैंक खाता विवरण की प्रतिलिपि एकत्र करने का निर्देश दिया गया है जिनके पास प्रतिभूतियां भौतिक रूप में धारित हैं, बैंक के उन सभी शेयरधारकों से जिनके पास भौतिक रूप में प्रतिभूति धारित हैं अनुरोध किया जाता है कि वे उस शेयरधारक जिसका नाम पहले हो और सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रतिलिपि और बैंक खाता विवरण (यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हो) बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में प्रस्तुत करें. कृपया विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ, उसमें दिए गए पते पर जमा किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन और लाभांश का भुगतान (यदि कोई घोषित हो) रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस) / आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस) / एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], एनईएफटी आदि के माध्यम से शेयरधारक के अधिदेशित बैंक खाते में करने में सुविधा होगी.

11. The result of e-voting alongwith Scrutinizer's Report will be announced on or before August 16, 2018 by displaying the same on Bank's Website www.idbi.com and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

12. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to the Depository Participant with whom they are maintaining Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to IDBI Bank/ Karvy.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION :

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/ CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, all Shareholders of the Bank who hold shares in physical form are requested to furnish the copy/ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbi.com. Duly filled in form, alongwith the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.

03. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 के मानदंडों के अनुसार, सभी अप्रदत या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े रहेंगे, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में इस वर्ष बैंक से वित्तीय वर्ष 2010-11 के अदावित लाभांश को निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश का अभी तक दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.

04. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारकों, जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को भौतिक स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लेने अथवा महासभा के आयोजन स्थल पर टैब वोटिंग के लिए केवल वही शेयरधारक पात्र होंगे जो सदस्यों की बही में दर्ज हैं अथवा जो उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीख 06 अगस्त 2018 को शेयरों के लाभार्थी स्वामी हैं.

03. As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2010-11 to the Fund. The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2010-11 are requested to approach the Bank for claiming the same in terms of the Rules. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.

04. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

It is clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of August 06, 2018, will be entitled to avail the facility of remote e-voting or Tab voting at the venue of the AGM.

नोटिस का अनुबंध

सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 2

बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 187 के अनुसार यह अपेक्षित है कि बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा, एक या अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा करवायी जाए, जिन्हें बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए) के निबंधनों के अनुसार रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया गया हो. इस नियुक्ति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत शेयरधारकों की महासभा में साधारण संकल्प पारित करके अभिपुष्टि की जानी अपेक्षित है. मुकुन्द एम. चितले, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. 106655डब्ल्यू), के. एस. अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं.100186डब्ल्यू) तथा जेएलएनयूएस एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, वदोदरा (फर्म पंजीकरण सं.101543डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईडीबीआई बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त किया गया था. वर्ष 2018-19 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए भारतीय रिज़व बैंक से अनुमोदन मांगा जा रहा है. चूंकि रिज़र्व बैंक की मंजूरी में समय लग सकता है, अतः यह प्रस्ताव है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सामान्य संकल्प पारित करके वार्षिक महासभा द्वारा बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त/ पुनर्नियुक्त करने और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त/ पुनर्नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. उपर्युक्त लेखापरीक्षकों के लिए निबंधन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा. तदनुसार, वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं.2 में निहित सामान्य संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित है.

2. सूचना की मद सं. 3 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

(i) समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. बासेल

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of Items of the Notice

1. Item No. 2 of the Notice

In terms of Article 187 of the Articles of Association, the accounts of the Bank are required to be audited by one or more auditors to be appointed with the prior approval of RBI in terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949. The appointment is required to be ratified in the General Meeting of shareholders by passing Ordinary Resolution under Section 139 of the Companies Act, 2013. Mukund M. Chitale, Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No.106655W), K S Aiyar & Co., Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No.100186W) and J L N U S & Co., Chartered Accountants, Vadodara (Firm Regn. No.101543W) were appointed /re-appointed as Statutory Central Auditors of IDBI Bank for the year 2017-18. Approval of RBI is being sought for appointment of Joint Statutory Auditors of the Bank for the year 2018-19. Since RBI approval may take time to be granted, it is proposed that by passing ordinary resolution under section 139 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Board may be authorized by the AGM, to appoint / re-appoint Statutory Central Auditors of the Bank for FY 2018-19 and appoint / re-appoint Branch Statutory Auditor for DIFC, Dubai Branch for the FY 2018-19 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received from RBI in this regard. The terms & conditions and remuneration of the Statutory Auditors would be as fixed by the Board of Directors of the Bank on the recommendation of the Audit Committee. The Ordinary Resolution as contained at Item No.2 of the AGM Notice is accordingly proposed to be passed by the shareholders.

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.3 of the Notice

(i) The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory

III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत बनाने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 18 जुलाई 2017 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प, क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए अर्थात् 17 जुलाई 2018 तक वैध है.

(ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा.

(iii) यह संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है जो सेबी विनियम (एलओडीआर) 2015 के विनियम 41(4) के साथ पठित है, बशर्ते कि जब भी बैंक द्वारा दोबारा कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को वह ऑफर आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए, जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार से इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सके.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम तथा निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी आदि के जरिए कुल ₹ 5000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) के इक्विटी शेयरों को ऑफर करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है. अधिमानी निर्गम के मामले में (क) शेयर प्रवर्तक, भारत सरकार तथा/या सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अधीन अनुमत अन्य अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी), यदि कोई हो, को जारी किए जाएंगे. (ख) अधिमानी निर्गम के मूल्य निर्धारण के लिए संगत तारीख इस वार्षिक महासभा की तारीख से 30 दिन पूर्व अर्थात् 13 जुलाई 2018 होगी; (ग) निर्गम के मूल्य की गणना 13 जुलाई 2018 की संगत तारीख के आधार पर सेबी (आईसीडीआर) विनियम के खंड 76 के अनुसार की जाएगी, (घ) अधिमानी निर्गम से पूर्व तथा बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप वर्तमान प्रदत्त पूंजी और इस संकल्प के निबंधनों के अनुसार बैंक द्वारा आबंटित शेयरों की वास्तविक संख्या

guidelines issued from time to time. In view of ongoing implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on July 18, 2017 for Issue of Capital under QIP route, is valid only for one year upto July 17, 2018 in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 for QIPs.

(ii) The Bank will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital.

(iii) The enabling Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 which read with Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, provide that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares aggregating upto ₹ 5000 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, preferential issue, issue on private placement basis, QIP, etc. In case of preferential Issue, (a) the shares will be issued to the Promoter, Govt. of India and/ or other QIBs, if any as permitted under chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009; (b) the Relevant Date for pricing of the preferential issue shall be 30 days prior to the date of this AGM, i.e., July 13, 2018; (c) pricing of the issue shall be calculated as per Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations based on the Relevant Date of July 13, 2018; (d) the shareholding pattern of the issuer before and after the preferential issue shall be the existing

होगी. (ङ) अधिमानी निर्गम का कार्य इस संकल्प से 15 दिनों के भीतर या अधिमान निर्गम के अभिदान हेतु भारत सरकार के अनुमोदन या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक अनुमोदन से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा. और (च) लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें इस संकल्प के प्राधिकार के अधीन अधिमानी निर्गम का अनुमोदन किया जाना है.

(v) इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vi) इस संकल्प का उद्देश्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में परिभाषित रूप में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पास अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(vii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जाए जो कि "संगत तारीख" से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित ''आधार मूल्य'' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसे किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(viii) ''संगत तारीख'' से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसमें बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(ix) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी.

paid-up capital plus the actual number of shares to be allotted by the Bank in terms of this Resolution; (e) the preferential issue shall be completed within 15 days of this Resolution or within 15 days of any statutory/ regulatory approval or the approval of GoI for subscription to this preferential issue; and (f) Auditors certificate shall be placed before the Board Meeting which approves the Preferential Issue under the authority of this Resolution.

(v) The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vi) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations, 2009. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.

(viii) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(ix) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(x) ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(xi) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशानिर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xii) उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiii) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस प्रयोजन के लिए बैंक को शेयरधारकों से एक विशेष संकल्प के जरिए सहमति लेनी आवश्यक है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 3 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार यह प्रस्तुत है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है.

3. सूचना की मद सं. 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

(i) कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण-पत्र और आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए विशेष

(x) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(xi) As pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiii) The equity shares to be allotted shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No.3 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is/are concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.4 of the Notice

(i) In terms of Section 42 of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, private placement of securities will require

संकल्प के द्वारा शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में वर्ष भर के सभी प्रस्तावित निर्गमों के संबंध में इस प्रकार का अनुमोदन वर्ष के आरंभ में ही लिया जाए.

(ii) निर्गमों की कीमत का निर्धारण प्रत्येक निर्गम के समय ही किया जा सकता है. घरेलू बाज़ार में निर्गम की कीमत का निर्धारण बाज़ार की वर्तमान स्थितियों और बैंक के लिए समग्र उधार लागत पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाएगा.

तदनुसार, निदेशक मंडल उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विशेष संकल्प पारित करके शेयरधारकों से उनके अनुमोदन की मांग करता है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 4 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता/ बॉण्डधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है.

4. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन 06713850) को 9 अक्तूबर 2017 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वे निदेशक के रूप में 14वीं वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात् 13 अगस्त 2018 तक पद पर रहेंगे. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री भुवनचंद्र बी. जोशी से नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने निदेशक के रूप में अपनी उम्मीदवारी सूचित की है. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के प्रावधानों तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर यह प्रस्ताव किया जाता है कि श्री भुवनचंद्र जोशी को लगातार 4 वर्ष के आरंभिक कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो 9 अक्तूबर 2017 (अर्थात् अपर निदेशक के रूप में उनकी

previous approval of the shareholders by Special Resolution. Provided that in case of non-convertible debentures, such approval may be taken in the beginning of the year in respect of all proposed issues during the year.

(ii) The pricing of the issuances can be decided only at the time of each issue. The pricing of the issuance in the domestic market would be decided based on the prevailing market conditions and its impact on overall cost of borrowing for the Bank.

Accordingly, Shareholders' approval is sought by the Board of Directors for the above purpose by passing of the Special Resolution. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No.4 of the notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the above resolution except to the extent of their shareholding / bondholding, if any, in IDBI Bank.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.5 of the Notice

Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN 06713850) was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. October 09, 2017 and will hold office as such Director upto the date of the 14th Annual General Meeting, i.e. August 13, 2018. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri Bhuwanchandra B. Joshi signifying his candidature for the office of Director. In terms of the provisions of Para VIII(2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors for FY 2017-18, it is proposed to appoint Shri Bhuwanchandra B. Joshi as Independent Director for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2017 (i.e. the date of his original appointment as Additional

मूल नियुक्ति की तारीख) से प्रभावी होगा तथा वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 5 में निहित संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री भुवनचंद्र बी. जोशी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(I) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री भुवनचंद्र बी. जोशी को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री भुवनचंद्र बी. जोशी का किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से कोई संबंध नहीं है. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री भुवनचंद्र बी. जोशी बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक फीस तथा उनके वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे.

श्री भुवनचंद्र जोशी का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन 06713850) बी.कॉम और सीएआईआईबी हैं. श्री जोशी के पास विभिन्न क्षेत्रों में 39 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है जिसमें शाखा बैंकिंग, कॉरपोरेट ऋण, विदेशी मुद्रा, समुद्रपारीय परिचालन, अनुपालन, एसएमई बैंकिंग, अफ्रीका और यूएसए में समुद्रपारीय बैंकिंग अनुभव सहित रिटेल बैंकिंग शामिल हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के तौर पर वे इसके निदेशक मंडल और बोर्ड स्तरीय समितियों में थे. वे बैंक ऑफ बड़ौदा की सहयोगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों एवं सहायक संस्थाओं के अध्यक्ष /निदेशक भी थे. इसके अलावा, श्री जोशी रिज़र्व बैंक द्वारा गठित ऋण के मूल्य निर्धारण पर कार्य दल के सदस्य, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा मिशन मोड परियोजना के रूप में बनाई गई वित्तीय समावेशन पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी समिति के अध्यक्ष और ज्ञान संगम 2016 के संबंध में आईबीए द्वारा एनपीए प्रबंधन एवं वसूली पर गठित कार्य दल के सदस्य भी थे.

5. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री समरेश परिडा (डीआईएन 01853823) को 19 मई 2018 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

Director) and pass the resolution contained under Item No. 5 of the AGM Notice. It may be noted that Shri B.B. Joshi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 for such an appointment. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri B.B Joshi, himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri B.B. Joshi as Independent Director. Shri B.B Joshi is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank. As Independent Director, Shri B.B Joshi shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements.

Shri B.B Joshi's resume is as under :

Shri B.B Joshi (DIN 06713850) is B.Com and CAIIB. Shri Joshi has 39 years of Banking experience in various fields like Branch Banking, Corporate Credit, Foreign Exchange, Overseas Operations, Compliance, SME Banking, Retail Banking including overseas banking experience in Africa and USA. As Executive Director of Bank of Baroda, he was on its Board and Board Level Committees. He was also Chairman / Director in Associates / Joint Ventures & Subsidiaries of Bank of Baroda. Further, Shri Joshi was Member of the Working Group on Pricing of Credit formed by RBI, Chairman of the Committee on Detailed Project Report on Financial Inclusion as a Mission Mode Project formed by DFS, MoF and Member of Working Group on NPA Management & Recovery constituted by IBA in respect of Gyan Sangam 2016.

5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.6 of the Notice

Shri Samaresh Parida (DIN 01853823) was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. May

था तथा वे निदेशक के रूप में 14वीं वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात् 13 अगस्त 2018 तक पद पर रहेंगे. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री समरेश परिडा से नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने निदेशक के रूप में अपनी उम्मीदवारी सूचित की है. बोर्ड ने भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 (1) के परंतुक के अनुसार उनकी नियुक्ति की संस्तुति की है. यह प्रस्ताव किया जाता है कि श्री समरेश परिडा को लगातार 4 वर्ष के आरंभिक कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो 19 मई 2018 (अर्थात् अपर निदेशक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख) से प्रभावी होगा तथा वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 6 में निहित संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री समरेश परिडा ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(I) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री समरेश परीडा को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री समरेश परिडा की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री समरेश परिडा का किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से कोई संबंध नहीं है. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री समरेश परिडा बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक फीस तथा उनके वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे.

श्री समरेश परिडा का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री समरेश परिडा (डीआईएन 01853823) अर्हता-प्राप्त सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार और भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद से एमबीए हैं. वे 30 से अधिक वर्ष के अच्छे कार्य निष्पादन रेकॉर्ड के साथ वित्त, रणनीति, परिचालन, विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार रिइंजीनियरिंग में वरिष्ठ प्रबंध व्यावसायिक हैं. इन्हें भारत तथा महत्वपूर्ण वैश्विक बाज़ारों- विशेष रूप से यूएसए, एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप का अनुभव है. वे एसपी ग्रोथ कंसल्टिंग के संस्थापक और सीईओ हैं जो प्रबंधन सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करता है. वे नाबार्ड के वरिष्ठ सलाहकार, भारत में वोडाफोन

19, 2018 and will hold office as such Director upto the date of the 14th Annual General Meeting, i.e. August 13, 2018. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri Samaresh Parida signifying his candidature for the office of Director. Board has also recommended his appointment as Independent Director in terms of Proviso to Section 160(1) of the Companies Act, 2013. It is proposed to appoint Shri Samaresh Parida as Independent Director for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2018 (i.e. the date of his original appointment as Additional Director) and pass the resolution contained under Item No.6 of the AGM Notice. It may be noted that Shri Samaresh Parida has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 for such an appointment. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Samaresh Parida, himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Samaresh Parida as Independent Director. Shri Samaresh Parida is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank. As Independent Director, Shri Samaresh Parida shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements.

Shri Samaresh Parida's resume is as under :

Shri Samaresh Parida (DIN 01853823) is a qualified Chartered Accountant, Cost Accountant and an MBA from Indian Institute of Management, Ahmedabad. He is a Senior Management professional with proven track record of over 30 years in finance, strategy, operations, business reengineering in different sectors. He has experience in India and key global markets – specifically USA, Asia, Latin America and Europe. He is the Founder and CEO of SP Growth Consulting which provides management consultancy services. He has been Senior Advisor to

के लिए रणनीति निदेशक रहे हैं और उन्होंने पेप्सिको के साथ लगभग दो दशक तक कार्य किया है जिसमें से लगभग एक दशक तक वे यूएस स्थित मुख्यालय में कार्यरत रहे. पेप्सिको में अपने अंतिम कार्य दायित्व में वे यूएस में रणनीतिपरक कारोबार इकाई में सीएफ़ओ के पद पर थे. इन्हें रणनीति, परामर्श, आयोजना, प्रौद्योगिकी और वित्त में विशेषज्ञता है.

6. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन 05126421) को 19 मई 2018 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वे निदेशक के रूप में 14वीं वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात् 13 अगस्त 2018 तक पद पर रहेंगे. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री एन. जंबुनाथन से नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने निदेशक के रूप में अपनी उम्मीदवारी सूचित की है. बोर्ड ने भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के परंतुक के अनुसार उनकी नियुक्ति की संस्तुति की है. यह प्रस्ताव किया जाता है कि श्री एन. जंबुनाथन को लगातार 4 वर्ष के आरंभिक कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो 19 मई 2018 (अर्थात् अपर निदेशक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख) से प्रभावी होगा तथा वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 7 में निहित संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री एन. जंबुनाथन ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री एन. जंबुनाथन को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री एन. जंबुनाथन की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री एन. जंबुनाथन का किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से कोई संबंध नहीं है. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एन. जंबुनाथन बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक फीस तथा उनके वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे.

NABARD, Director of Strategy for Vodafone in India, worked with PepsiCo for about two decades out of which for almost a decade he was based in the Headquarters in the US. In his last assignment in PepsiCo, he was the CFO for a Strategic Business Unit in the US. He has expertise in the areas of Strategy, Consulting, Planning, Technology and Finance.

6. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.7 of the Notice

Shri N. Jambunathan (DIN 05126421) was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. May 19, 2018 and will hold office as such Director upto the date of the 14th Annual General Meeting, i.e. August 13, 2018. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri N. Jambunathan signifying his candidature for the office of Director. Board has also recommended his appointment as Independent Director in terms of Proviso to Section 160(1) of the Companies Act, 2013. It is proposed to appoint Shri N. Jambunathan as Independent Director for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2018 (i.e. the date of his original appointment as Additional Director) and pass the resolution contained under Item No.7 of the AGM Notice. It may be noted that Shri N. Jambunathan has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 for such an appointment. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri N. Jambunathan, himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri N. Jambunathan as Independent Director. Shri N. Jambunathan is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank. As Independent Director, Shri N. Jambunathan shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements.

श्री एन. जंबुनाथन का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री जंबुनाथन सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर, एआईएमए से प्रबंध में डिप्लोमा सहित सीएआईआईबी हैं और स्टेट बैंक में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के अच्छे अनुभव वाले कैरियर बैंकर हैं. उन्होंने बैंक में कंप्यूटर संबंधी विभागों/आईटी में विभिन्न पदों पर कार्य किया है जिसमें मुख्य महाप्रबंधक-आईटी के रूप में कार्यभार शामिल है. उन्होंने रिटेल बैंकिंग और भुगतान कारोबार में भी महत्वपूर्ण दायित्व संभाले हैं. वे भारतीय स्टेट बैंक से उप प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उन्होंने रिलायंस पेमेंट्स सिस्टम्स लि. के साथ उनके भुगतान संबंधी पहल कार्यों के संबंध में दो वर्षों तक सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जिसमें स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम बैंक की स्थापना भी शामिल है. इन्हें बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता है.

7. सूचना की मद सं. 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 14 मई 2018 की अधिसूचना के जरिए श्री सुधीर श्याम (डीआईएन 08135013), निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रलाय, भारत सरकार को बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(सी) के अधीन 14 मई 2018 से अगले आदेश तक श्री प्रवीण गर्ग के स्थान पर आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया है. एमसीए ने श्री सुधीर श्याम को 16 मई 2018 को डीआईएन आबंटित किया है, अतः उनकी निदेशकता 16 मई 2018 से प्रभावी हुई है. बोर्ड ने उपर्युक्त नामांकन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुसार अनुमोदित किया किया है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त नामांकन को नोट करें. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री सुधीर श्याम को छोड़कर) या आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री सुधीर श्याम का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है.

श्री सुधीर श्याम का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री सुधीर श्याम 1999 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारी हैं. उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से, स्नातोकोत्तर और दर्शन शास्त्र में स्नातोकोत्तर जवाहर लाल नेहरू

Shri N. Jambunathan's resume is as under :

Shri Jambunathan is a Post Graduate in statistics, CAIIB with Diploma in Management from AIMA and is a career banker with rich experience at different levels in State Bank. He worked on different positions in the Bank in computer related Departments/ IT including as CGM-IT. He also held important assignments in Retail Banking and Payments business. He retired from State Bank as its Dy. Managing Director. He has worked as Advisor / Mentor with Reliance Payments Systems Ltd. for two years in respect of their payments related initiatives which included setting up of a Joint Venture bank with SBI. He has the expertise in Banking and Technology.

7. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.8 of the Notice

Govt. of India has, vide Notification dated May 14, 2018, nominated Shri Sudhir Shyam (DIN 08135013), Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India as Govt. Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. in place of Shri Praveen Garg w.e.f. May 14, 2018 and until further orders, in terms of Article 116(1)(c) of the Articles of Association of the Bank. MCA has allotted DIN to Shri Sudhir Shyam on May 16, 2018 and hence, his directorship becomes effective from May 16, 2018. Board has approved the above nomination in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013. Members are requested to take note of the said nomination. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Sudhir Shyam himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Sudhir Shyam is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Shri Sudhir Shyam's resume is as under :

Shri Sudhir Shyam is a 1999 batch Indian Economic Service (IES) officer. He has done his graduation in Economics from Delhi University, post graduation and Master of Philosophy from Jawahar Lal Nehru University (JNU). He worked as Assistant Director in the Department

विश्वविद्यालय (जेएनयू) से किया है. उन्होंने 2001 से 2004 की अवधि के दौरान आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंध इकाई में, 2008 के अंत तक उपभोक्ता मामले विभाग के आंतरिक व्यापार प्रभाग में सहायक निदेशक के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय में चार वर्षों (2009-2012) तक उप सचिव के रूप में कार्य किया है. अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने 2013 में आर्थिक कार्य विभाग ज्वाइन किया जहाँ इन्हें भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के मानव संसाधन प्रबंध का दायित्व सौंपा गया था. उसके बाद वे 2015 में वित्तीय सेवाएँ विभाग से जुड़े और इस समय वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफ़एस) में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं. उनके दायित्वों में, अन्य बातों के साथ-साथ, चुनिंदा बैंकिंग विधानों की देखरेख, बैंकों द्वारा एजेंसी कारोबार, वित्तीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामले आदि शामिल हैं. पूर्व में वे 2015 से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के भारतीय स्टेट बैंक में विलयन के समय तक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक मंडल में भी रहे हैं.

8. सूचना की मद सं. 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 20 जून 2018 की अधिसूचना एफ़. सं. 4/6/2018-बीओ.I तथा 29 जून 2018 की अधिसूचना एफ़. सं. 4/6/2018-बीओ.I के जरिए बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(ए)(ii) के निबंधनों के अनुसार श्री बी. श्रीराम (डीआईएन 02993708), प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को पद भार ग्रहण करने की तारीख से 30.09.2018 तक (अर्थात उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया है. तदनुसार श्री बी. श्रीराम ने 30 जून 2018 को आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है. बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुसार 22 जून 2018 को संपन्न अपनी बैठक में इस नियुक्ति को अनुमोदित किया है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त नियुक्ति को नोट करें. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्री बी. श्रीराम को छोड़कर) या आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं. श्री बी. श्रीराम का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

of Economic Affairs in the Project Management Unit, during the period from 2001 to 2004, in the Internal Trade Division of Department of Consumer Affairs till the end of 2008, as Deputy Secretary in the Ministry of Rural Development for four years (2009-2012). On completion of his tenure, he joined the Department of Economic Affairs in 2013 and was tasked with human resource management of Indian Economic Service Officers. He later joined Department of Financial Services in 2015 and is currently working as Director in the Department of Financial Services (DFS). His responsibilities *inter alia* include handling of select banking legislations, agency business by banks, matters relating to international cooperation in the financial sector, etc. He has earlier served on the Board of Directors of State Bank of Patiala from 2015 till the merger of State Bank of Patiala with State Bank of India.

8. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.9 of the Notice

Govt. of India has, vide Notification No. F.No. 4/6/2018-Bo. I dated June 20, 2018 and F.No. 4/6/2018-Bo. I dated June 29, 2018 appointed Shri B. Sriram (DIN 02993708), Managing Director, SBI as MD & CEO of IDBI Bank Limited for a period of three months with effect from the date of assumption of office, up to 30.09.2018 (i.e. the date of his superannuation), or until further orders whichever is earlier, in terms of Article 116(1)(a)(ii) of the Articles of Association of the Bank. Accordingly, Shri B Sriram assumed charge as MD & CEO of IDBI Bank on June 30, 2018. Board had approved the appointment in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013 in its meeting held on June 22, 2018. Members are requested to take note of the said appointment. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri B. Sriram himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri B. Sriram is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

श्री बी. श्रीराम का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री बी. श्रीराम, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से भौतिकी में पोस्ट ग्रेज्युएट और एआईएमए से प्रबंध में डिप्लोमा धारक हैं. इन्होंने वर्ष 1981 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में सेवा शुरू की थी और बैंक में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. श्री बी. श्रीराम ने भारतीय स्टेट बैंक में 7 अक्तूबर 2017 को प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट एवं वैश्विक बैंकिंग) का पदभार ग्रहण किया. उसके पूर्व वे प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) थे. वे 17 जुलाई 2014 से अक्तूबर 2015 तक प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) भी थे. इससे पहले श्री बी. श्रीराम भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबंध निदेशक थे. इन्होंने पूर्व में दिल्ली सर्कल के मुख्य महा प्रबंधक, मुख्य महा प्रबंधक (वैश्विक बाजार) के रूप में और अक्तूबर 2005 से मार्च 2008 तक अंचल कार्यालय, मुंबई में तथा दिसंबर 2003 से अक्तूबर 2005 तक अंचल कार्यालय, देहरादून में भी उप महा प्रबंधक के रूप में कार्य किया था. वे सिंगापुर स्थित बैंक के विदेशी कार्यालय में भी पदापित रहे थे और अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड में प्रतिनियुक्त किए गए थे.

बोर्ड के आदेश से

(बी. श्रीराम)
एमडी एवं सीईओ
(डीआईएन 02993708)

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400 005
दिनांक : 30 जून 2018

Shri B. Sriram's resume is as under :

Shri B. Sriram, a Post Graduate in Physics from St. Stephen's College, New Delhi and an AIMA Diploma holder in Management, joined State Bank of India as Probationary Officer in 1981 and has held various important assignments in the Bank. Shri B. Sriram assumed charge of Managing Director (Corporate & Global Banking), State Bank of India on 7th October 2017, prior to which, he was Managing Director (Corporate Banking Group). He was also Managing Director (National Banking Group) since 17th July, 2014 till October, 2015. Earlier, Shri B. Sriram was Managing Director of erstwhile Subsidiary Bank, State Bank of Bikaner & Jaipur. He also served earlier as Chief General Manager of Delhi Circle, Chief General Manager (Global Markets), Dy. General Manager, Zonal Office, Mumbai from October 2005 to March 2008 and Zonal Office, Dehradun from December 2003 to October 2005. He was also posted in the Bank's foreign office at Singapore and was on deputation to SBI Capital Markets Ltd. during his earlier tenure.

By Order of the Board

(B. Sriram)
MD & CEO
(DIN 02993708)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 30, 2018

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लि.

फॉर्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी-फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

CIN: L65190MH2004GOI148838

कंपनी का नाम : आईडीबीआई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005.

सदस्य(यों) का/के नाम	:
पंजीकृत पता	:
ईमेल आईडी	:
फोलियो सं./ ग्राहक आईडी	:
डीपी आईडी	:

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के _____ शेयरों के धारक सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा

1. नाम : _____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : _____ को अथवा उनके वहां न होने पर,

2. नाम : _____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : _____ को अथवा उनके वहां न होने पर,

3. नाम : _____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : _____

को यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021 में 13 अगस्त 2018 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जानेवाली और उसके किसी स्थगन पर आयोजित होनेवाली **बैंक की 14वीं वार्षिक महासभा** में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान (मतदान होने पर) करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं:

संकल्प संख्या:

1. यथा दिनांक 31 मार्च 2018 को आईडीबीआई बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उन पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ स्वीकार करना (साधारण संकल्प).
2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईडीबीआई बैंक हेतु सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों और आईडीबीआई बैंक की डीआईएफ़सी, दुबई शाखा हेतु शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प ((साधारण संकल्प).
3. क्यूआईपी सहित निर्गम के विभिन्न माध्यमों से कुल 5000 करोड़ रु. (प्रीमियम राशि सहित) तक के शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी)के अधीन समर्थकारी संकल्प (विशेष संकल्प).
4. बॉन्डों को शामिल करते हुए निजी तौर पर शेयर आबंटन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से, एक या अधिक चरणों में, 5000 करोड़ रु. तक जुटाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन समर्थकारी संकल्प (विशेष संकल्प).
5. बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी की नियुक्ति (साधारण संकल्प).
6. बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री समरेश परिडा की नियुक्ति (साधारण संकल्प).
7. बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एन. जंबुनाथन की नियुक्ति (साधारण संकल्प).
8. आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में श्री सुधीर श्याम, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के नामांकन को नोट करना (साधारण संकल्प).
9. बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में श्री बी. श्रीराम की नियुक्ति को नोट करना. (साधारण संकल्प).

दिनांक _____ माह _____ 2018 को हस्ताक्षरित.

शेयरधारक के हस्ताक्षर : _____

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर : _____

रेवेन्यू स्टाम्प लगाएं

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से भरा जाए तथा इसे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (अर्थात् शनिवार, 11 अगस्त 2018 को अपराहन 3.30 बजे तक या इससे पहले) बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए.

IDBI BANK

IDBI Bank Limited

Form No. MGT-11
Proxy Form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3)of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:L65190MH2004GOI148838

Name of the company : IDBI Bank Ltd.

Registered office : IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005.

Name of the member (s)	:
Registered address	:
E-mail Id	:
Folio No/ Client Id	:
DP ID	:

I/We, being the member(s) of _____ shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:_____
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:_____, or failing him
2. Name: _____
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:_____, or failing him
3. Name: _____
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:_____

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the **14th Annual General Meeting of the Bank, to be held on the 13th day of August 2018 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021** and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

1. Adoption of the Audited Financial Statements of IDBI Bank as on March 31, 2018 together with Reports of Directors and Auditors thereon (Ordinary Resolution)
2. Authorising the Board of Directors to appoint/ re-appoint Statutory Central Auditors of IDBI Bank and Branch Statutory Auditor of DIFC, Dubai Branch of IDBI Bank for FY 2018-19 (Ordinary Resolution)
3. Enabling Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for issue of shares aggregating upto ₹ 5000 crore (inclusive of premium amount) through various modes of issue including QIP (Special Resolution)
4. Enabling Resolution u/s 42 of the Companies Act, 2013 for mobilization in one or more tranches upto ₹ 5000 crore comprising of Bonds by way of Private Placement/Public Issue (Special Resolution)
5. Appointment of Shri Bhuwanchandra B. Joshi as Independent Director of the Bank (Ordinary Resolution)
6. Appointment of Shri Samaresh Parida as Independent Director of the Bank (Ordinary Resolution)
7. Appointment of Shri N. Jambunathan as Independent Director of the Bank (Ordinary Resolution)
8. To note the nomination of Shri Sudhir Shyam, Director, Department of Financial Services, Govt. of India as Government Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. (Ordinary Resolution).
9. To note the appointment of Shri B. Sriram as MD and CEO of the Bank (Ordinary Resolution).

Affix Revenue Stamp

Signed this _____ day of_____ 2018

Signature of shareholder: _____

Signature of Proxy holder(s): _____

Note: This form of proxy, in order to be effective, should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Bank, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. (i.e. on or before 3.30 p.m. on Saturday, August 11, 2018).

IDBI BANK

बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/हम _____ एतद्द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि वे

- मेरे/ हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करें अथवा
- एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी/ एनएसीएच द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करें.

(जो लागू न हो उसे काट दें)

फोलियो नं.: IDB _____

बैंक खाते का विवरण

1.	बैंक का नाम	:	
2.	शाखा का नाम पता (केवल मैंडेट हेतु)	:	
3.	एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या	:	
4.	खाता प्रकार (बचत/चालू)	:	
5.	चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं.	:	
6.	शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं.	:	
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	:	
8.	शेयरधारक का ई-मेल आईडी	:	
9.	शेयरधारक का टेलीफोन / मोबाईल नं.	:	

.....

सदस्य के हस्ताक्षर

1. 9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या/ आईएफएससी कोड की परिशुद्धता के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक की फोटो कॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संलग्न करें.
2.

ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:	**शेयरधारकों द्वारा शेयर डिमैट रूप में धारित किए जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :**
कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500 032, तेलंगाना.	संबंधित डिपॉज़िटरी, जहां आपका डीमैट खाता खोला गया है.

संलग्नक :

1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति.
2. आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति.
3. रद्द रिक्त चेक पन्ना.
4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.

IDBI BANK

BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We _____ do hereby authorize IDBI Bank Ltd.

- To Print the following details on my/our dividend warrant or
- To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT/NACH.

(Strike out whichever is not applicable)

Folio No. : IDB_____

Particulars of Bank Account:

1.	Bank Name	:	
2.	Branch Name Address (for Mandate only)	:	
3.	9 Digit Code number of the Bank & Branch as appearing on the MICR cheque	:	
4.	Account Type (Savings/Current)	:	
5.	Account No. as appearing on the cheque book	:	
6.	Branch STD code & Telephone no.	:	
7.	IFSC Code of Bank Branch	:	
8.	E-mail ID of shareholder	:	
9.	Telephone/ Mobile No. of Shareholder	:	

.....

Signature of the Member

1. Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above bank account for verifying the accuracy of the 9 digit MICR code number/IFSC Code.

2.

In case of shareholders holding shares in Physical Mode, please send these details to:	**In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to:**
Karvy Computershare Pvt. Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 Telangana.	The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained.

Enclosures :

1. Self-attested copy of PAN Card
2. Self-attested copy of AADHAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
3. Cancelled Blank Cheque leaf.
4. Signature attestation letter from Bank.

नोट / NOTE

नोट / NOTE